

श्री श्याम सुंदर प्रसाद और अन्य

बनाम

श्री राज पाल सिंह और एक अन्य

29 नवंबर 1994

[के. रामास्वामी, एन.पी. सिंह और एन. वेंकटचाला, न्यायमूर्तिगण]

परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 142 के तहत, स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए दायर किए गए किसी भी वाद (मुकदमे) में सबूत का भार वादी पर होता है। वादी के लिए यह अनिवार्य है कि वह यह साबित करे कि मुकदमा दायर करने की तारीख से ठीक 12 साल के भीतर संपत्ति पर उसका भौतिक कब्जा बना हुआ था और साथ ही संपत्ति पर उसका वैध स्वामित्व भी था।

वादी ने एक भूखंड के मालिक के रूप में स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए एक स्वत्व वाद दायर किया। विचारण न्यायालय ने वाद को डिक्री कर दिया। अपीलीय न्यायालयने पाया कि यद्यपि वादी के पास किसी समय स्वामित्व और कब्जा था, लेकिन वादी की अनुसूचित संपत्ति से बेदखली या कब्जा बंद होने की कोई निश्चित तारीख नहीं थी। वादी मुकदमा दायर करने के 12 वर्षों के भीतर मुकदमे की ज़मीन पर कब्जा साबित करने में विफल रहा, जब कब्जा बंद कर दिया गया था। इसलिए, परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 142 के तहत समय-बाधित होने के कारण वाद को खारिज कर दिया गया। यह अपील द्वितीय अपील को प्रथम दृष्टया खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई थी

विचार के लिए प्रश्न यह था कि स्वामित्व और कब्जे पर आधारित मुकदमे में सबूत का भार किस पर होता है।

अपील को खारिज करते हुए, यह न्यायालय

निर्णीत : पुराने परिसीमा अधिनियम, 1908 के अधीन, कब्जे के लिए सभी वाद, चाहे

वे स्वामित्व के आधार पर हों अथवा पूर्ववर्ती कब्जे के आधार पर, अनुच्छेद 142 द्वारा शासित होते थे, जहाँ वादी, कब्जे में रहते हुए, बेदखल कर दिया गया था अथवा उसका कब्जा समाप्त हो गया था। अनुच्छेद 142 के दृष्टिगत, निस्संदेह, यह भार वादी पर है कि वह यह सिद्ध करे कि उसे संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त है तथा वाद दायर किए जाने की तिथि से 12 वर्ष के भीतर उसका उस संपत्ति पर कब्जा रहा है। अतः, जब वाद स्वामित्व के आधार पर स्थापित किया जाता है, तब वादी के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि न केवल उसे संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त है, बल्कि यह भी कि वाद दायर किए जाने की तिथि से पूर्व 12 वर्ष के भीतर उसे बेदखल किया गया था अथवा उसका पूर्ववर्ती कब्जा समाप्त हुआ था। जब उत्तरदाता अपने विहित कालावधि से प्रतिकूल कब्जे को स्थापित करने के लिए न्यायालय के समक्ष नहीं आता है, तब साक्ष्य का भार उत्तरदाता पर नहीं होता है। अतः भार सदैव वादी पर ही होता है कि वह यह सिद्ध करे कि वाद दायर किए जाने की तिथि से पूर्व 12 वर्ष के भीतर उसका कब्जा था तथा उसे संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त है। [195 ए, डी, ई]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1984 का दीवानी अपील सं. 3298

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 29-8-83 के निर्णय एवं आदेश से प्रतिवेदन संख्या 262/1980 में

अपीलकर्ताओं के लिए बी.बी. सिंह उपस्थित हुए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया:

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पटना उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील सं. 262/90 में 29 अगस्त, 1993 को पारित उस निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा द्वितीय अपील को प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता-वादी ने खाता वाद सं. 238/26, वर्ष 1962-65, खेसरा सं. 1093 तथा 1994 पर स्वामी के रूप में अपने स्वामित्व की घोषणा तथा कब्जा प्राप्त करने के लिए, और खेसरा सं. 1095 पर भौजदार के रूप में कब्जा प्राप्त करने के लिए दायर किया था। विचारण न्यायालय ने वाद का डिक्रीकरण

कर दिया, किन्तु अपीलीय न्यायालय ने यह पाया कि यद्यपि एक समय पर वादी को स्वामित्व तथा कब्जा प्राप्त था, तथापि वादपत्र अनुसूची की संपत्ति से बेदखली अथवा कब्जा समाप्त होने की कोई निश्चित तिथि उपलब्ध नहीं है। वादी यह सिद्ध करने में असफल रहा कि जब उसका कब्जा समाप्त हुआ, उस समय से वाद दायर किए जाने के पूर्ववर्ती 12 वर्षों के भीतर उसका विवादित भूमि पर कब्जा था। यह ज्ञात नहीं है कि वह कब कब्जे में आया था। अतः वाद परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 142, जिसे संक्षेप में "पुराना अधिनियम" कहा गया है, के अधीन परिसीमा द्वारा बाधित था। तदनुसार, उसे खारिज कर दिया गया।

पुराने परिसीमा अधिनियम की प्रथम अनुसूची और प्रथम खंड का अनुच्छेद 142 यह प्रावधान करता है कि अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए, जब वादी संपत्ति पर कब्जे के दौरान बेदखल हो गया हो या उसने कब्जा छोड़ दिया हो, तो बेदखली या कब्जे छोड़ने की तारीख से 12 वर्ष की अवधि शुरू होती है। अनुच्छेद 144 यह स्पष्ट करता है कि अचल संपत्ति या उसमें किसी हित पर कब्जे के लिए, जिसके लिए यहां अन्यथा विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, मुकदमा 12 वर्षों के भीतर दायर किया जाएगा, जब उत्तरदाता का कब्जा वादी के प्रतिकूल हो जाता है।

परिसीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में, 'नया अधिनियम') का अनुच्छेद 64 यह प्रावधान करता है कि "अचल संपत्ति पर पूर्व कब्जे के आधार पर कब्जे के लिए, न कि स्वामित्व के आधार पर, जब वादी संपत्ति पर कब्जे के दौरान बेदखल कर दिया गया हो," तो 12 वर्ष की परिसीमा अवधि बेदखली की तारीख से शुरू होती है। अनुच्छेद 65 यह प्रावधान करता है कि "अचल संपत्ति या उसमें किसी हित पर स्वामित्व के आधार पर कब्जे के लिए, 12 वर्ष की परिसीमा अवधि तब शुरू होती है जब उत्तरदाता का कब्जा वादी के प्रतिकूल हो जाता है।" पुराने परिसीमा अधिनियम के तहत, स्वामित्व या पूर्व कब्जे के आधार पर कब्जे के सभी मुकदमे अनुच्छेद 142 द्वारा शासित होते थे, जिसमें वादी कब्जे के दौरान बेदखल कर दिया गया हो या उसका कब्जा समाप्त कर दिया गया हो। जहां मामला वादी की बेदखली

या उसके द्वारा कब्जे के समाप्त होने का नहीं था। अनुच्छेद 142 लागू नहीं होता था। केवल स्वामित्व के आधार पर मुकदमे, न कि कब्जे या कब्जे के समाप्त होने के आधार पर, अनुच्छेद 144 के अंतर्गत आते थे, जब तक कि किसी अन्य अनुच्छेद में विशेष रूप से इसका प्रावधान न हो। इसलिए, अनुच्छेद 142 के लागू होने के लिए, मुकदमा केवल स्वामित्व के आधार पर ही नहीं, बल्कि कब्जे के आधार पर भी होना चाहिए।

अतः प्रश्न यह है कि स्वत्व तथा कब्जा प्राप्त करने के लिए दायर वाद में प्रमाण का भार किस पर है। पुराने अधिनियम के अनुच्छेद 142 के आलोक में, निस्संदेह प्रमाण का भार वादी-अपीलकर्ता पर है कि वह यह सिद्ध करे कि उसका संपत्ति पर स्वत्व था और वह उसके कब्जे में था तथा वाद दायर किए जाने की तिथि से पूर्व 12 वर्षों के भीतर उसे बेदखल किया गया था अथवा उसका कब्जा समाप्त हुआ था। इसलिए, जब वाद स्वत्व के आधार पर दायर किया गया हो, तब वादी के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि न केवल उसका संपत्ति पर स्वत्व था, बल्कि यह भी कि वाद दायर किए जाने की तिथि से पूर्व 12 वर्षों के भीतर उसे बेदखल किया गया था अथवा उसका पूर्ववर्ती कब्जा समाप्त हुआ था। यदि वाद केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हो, तब अनुच्छेद 144 लागू होगा। उत्तरदाता न्यायालय में अपने प्रतिकूल कब्जे को अवधि-प्राप्ति द्वारा सिद्ध करने के लिए नहीं आया। अतः प्रमाण का भार उस पर नहीं है। इसलिए, वादी/अपीलकर्ता के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि न केवल उसका वादपत्र अनुसूची संपत्ति पर स्वत्व था, बल्कि यह भी कि वह 12 वर्षों के भीतर कब्जे में था और उसे अनुच्छेद 142 के अधीन निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर बेदखल किया गया था अथवा उसका कब्जा समाप्त हुआ था। अतः यह सिद्ध करने का भार सदैव उसी पर है कि वाद दायर किए जाने की तिथि से पूर्व 12 वर्षों के भीतर उसका कब्जा था और उसका संपत्ति पर स्वत्व था। यह भार उत्तरदाता पर स्थानांतरित नहीं होता। इसलिए, अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रमाण का भार उचित रूप से अपीलकर्ता पर रखा गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों में हमें कोई विधिक त्रुटि नहीं दिखाई

देती जो हस्तक्षेप को उचित ठहराए, यद्यपि उच्च न्यायालय ने अपील को प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज कर दिया था। तदनुसार अपील खारिज की जाती है, किन्तु व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

याचिका खारिज कि जाती हैं।

ए.जी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।